



प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार पाठक,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 05-05-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं०-58 राजस्व मद के अंतर्गत अनुरक्षण कार्यो हेतु स्वीकृत धनराशि को प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के निर्वर्तन पर रखे जाने के संबंध में ।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र-05/सी/26-27-54सी-निर्वर्तन/26-27 दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं०-58 राजस्व मद के अंतर्गत अनुरक्षण कार्यो हेतु स्वीकृत धनराशि को प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के निर्वर्तन पर रखे जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं०-58 राजस्व मद में अनुरक्षण कार्यो हेतु कुल धनराशि ₹० 4654.50 करोड़ (रुपये छियालिस अरब चौवन करोड़ पचास लाख मात्र) निम्न विवरणानुसार/शर्तों के अधीन व्यय करने हेतु धनराशि प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो०नि०वि० लखनऊ के निर्वर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(धनराशि ₹० करोड़ में)

क्र०सं०	योजना का नाम/15 अंकीय बजट	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु बजट के माध्यम से स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2026-27 में धनराशि जो प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष के निर्वर्तन पर रखी जानी है
1	2	3	4
1	प्रदेश के मार्गो/पुलियों का अनुरक्षण कार्य (3054-04-337-03-0301-29)	1850.00	1850.00
2	प्रदेश के ग्रामीण मार्गो/पुलियों का अनुरक्षण कार्य (3054-04-337-03-0332-29)	2800.00	2800.00
3	प्रदेश में सम्पारों का अनुरक्षण तथा रेल कम सड़क पुलों के अनुरक्षण हेतु रेलवे के भुगतान (3054-04-337-03-0331-29)	2.50	2.50
4	प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरीय चौराहों का सुधार, सौंदर्यीकरण एवं अनुरक्षण कार्य (3054-80-800-07-0702-29)	2.00	2.00
	कुल योग :-	4654.50	4654.50

नियम एवं शर्तें-

(1) प्रश्नगत धनराशि को प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो०नि०वि० द्वारा एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/ डाकघर/डिपोजिट खाते में न रखी जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) प्रश्नगत धनराशि के सापेक्ष आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सम्बन्धित नियमों, स्थायी आदेशों, कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026-बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित समस्त शर्तों/अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त शासनादेश दिनांक 28.03.2026 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित निम्न व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

“ धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने से मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।”

(4) केवल स्वीकृत योजनाओं/मदों पर व्यय किया जायेगा। किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग अन्य मदों के कार्यान्वयन में नहीं किया जायेगा। निर्वर्तन पर रखी गयी धनराशि में से व्यय की गयी का धनराशि का मदवार विवरण सहित कृत कार्यवाही से शासन को समय-समय पर अवगत कराया जायेगा।

के नामे डाला जायेगा।

(5) उक्त निर्वर्तन मदों के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना सक्षम स्तर से अनुमोदित करायी जाएगी।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज ।
- 2-वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0, लखनऊ ।
- 3-वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
- 4-वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं 2 ।
- 5-नियोजन अनुभाग-4/गार्ड फाईल ।
- 6-लोक निर्माण अनुभाग-01

आज्ञा से,
(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।